निबंधन **संख्या** पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 23 **पटना, बुधवार, 18 ज्येष्ठ 1944 (श0)**
8 जून 2022 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1– नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-6**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**7-7**
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**8-8**
पूरक	---
पूरक-क	**9-19**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

4 मई 2022

सं0 2स्था०-173/2021-**810**/वि०स०--सभा सचिवालय के श्री संतोष कुमार, आप्त सचिव, जो वेतन स्तर-9 में प्रतिमाह-58,000/- रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत दिनांक-05.04.2022 से 13.04.2022 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-14.04.2022 एवं 17.04.2022 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । इनके कोष में कुल-260 दिनों का उपार्जित अवकाश शेष है ।

आदेश से,

प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव।

---

6 मई 2022

सं0 2स्था०-238/2021-**835**/वि०स०--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्रांक-45(22), दिनांक-06.01.2022 के आलोक में श्री सुरज कुमार, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-240 एवं 248 (क) के तहत दिनांक-03.02.2022 से 18.02.2022 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा नियम-159 के अन्तर्गत दिनांक-19.02.2022 एवं 20.02.2022 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-15 दिनों का उपार्जित अवकाश शेष है।

आदेश से,

अभय शंकर राय, अवर सचिव।

---

6 मई 2022

सं0 1स्था०-229/2021-840/वि०स०।--श्री शैलेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति सचिव, बिहार विधान सभा जो 74,910/-रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (एल.टी.सी.) रूल्स, 1988 की कंडिका-9, 10 एवं 11 के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 के विस्तारित अवधि में एल.टी.सी. सुविधा के तहत पत्नी के साथ दिनांक-07.05.2022 से 15.05.2022 तक पटना से सोमनाथ (वाया जयपुर-अहमदाबाद-द्वारिका) एवं सोमनाथ से पटना (वाया द्वारिका-अहमदाबाद-जयपुर) की यात्रा के लिए दिनांक-09.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022 एवं 13.05.2022 को आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 07.05.2022, 08.05.2022, 10.05.2022, 14.05.2022 एवं 15.05.2022 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं दिनांक-07.05.2022 से 15.05.2022 तक मुख्यालय से बाहर रहने की स्वीकृति दी जाती है । साथ ही उनके पुत्र को बंगलुरू से सोमनाथ (वाया अहमदाबाद-द्वारिका) एवं सोमनाथ से बंगलुरू (वाया द्वारिका-अहमदाबाद) के यात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

अभय शंकर राय, अवर सचिव।

---

19 मई 2022

सं0 2स्था०-125/2021-961/वि०स०।--श्री मुकुल कुमार, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त के पत्रांक-47(22), दिनांक-06.01.2022 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के

नियम 240 एवं 248(क) के तहत दिनांक-20.01.2022 से दिनांक-11.02.2022 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । उक्त संहिता के नियम-159 के तहत् दिनांक-12.02.2022 एवं 13.02.2022 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की भी अनुमति दी जाती है । इसके उपार्जित अवकाश कोष में 08 दिनों का अवकाश शेष रहेगा ।

आदेश से,

अभय शंकर राय, अवर सचिव।

---

30 मई 2022

सं0 2स्था०-130/22-1074/वि०स०।--सभा सचिवालय के श्री राकेश कुमार, आप्त सचिव जो वेतन स्तर-9 में प्रतिमाह 59,700/- रूपये वेतन पाते हैं, का बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत दिनांक-27.04.2022 से 13.05.2022 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-14.05.2022 से 16.05.2022 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । इसके पश्चात् इनके कोष में कुल 283 दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रहेगा ।

आदेश से,

प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव।

---

1 जून 2022

सं0 2स्था०-172/2018-1094 /वि०स०।--श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में प्रतिमाह अंके-1,05,900/-रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल०टी०सी० नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 के विस्तारित अवधि में एल०टी०सी० सुविधा के तहत दिनांक-12.06.2022 से 19.06.2022 तक पटना से ऊंटी (तमिलनाडु) एवं ऊंटी (तमिलनाडु) से पटना की यात्रा के लिए दिनांक-13.06.2022, 15.06.2022 से 17.06.2022 तक आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक-12.06.2022, 14.06.2022, 18.06.2022 एवं 19.06.2022 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं दिनांक-12.06.2022 से 19.06.2022 तक मुख्यालय से बाहर रहने की स्वीकृति दी जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

अभय शंकर राय, अवर सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

23 मई 2022

सं0 ग्रा0वि0-14(द0)दर0- 08/2015--945376---श्री महेश चन्द्र, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले (दरभंगा), सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध लक्ष्य से अधिक आवास स्वीकृत करने, प्रतीक्षा सूची का क्रमांक तोड़ने, 19 लाभुकों को दोबारा आवास देने, इंदिरा आवास सहायक एवं प्रभु खतवे, वार्ड सदस्य के द्वारा लाभुकों से राशि की उगाही करने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 1962 दिनांक 31.07.2015 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

श्री महेश चन्द्र से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विस्तृत जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 482073 दिनांक 06.07.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 598620 दिनांक 11.10.2021 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री महेश चन्द्र के विरुद्ध धारित आरोप संख्या- 1,2,3 एवं 4 पर समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोप संख्या-2 में वर्णित आरोप पर संचालन पदाधिकारी द्वारा किये गये साक्ष्य का विवेचन तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। श्री महेश चन्द्र द्वारा इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची का क्रम तोड़ने से संबंधित स्पष्टीकरण के

समर्थन में कोई ठोस व मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तत्संबंध में उनसे लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई, परंतु लिखित अभ्यावेदन अप्राप्त है।

श्री महेश चन्द्र के विरुद्ध आरोप, स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अभिमत की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रतीक्षा सूची क्रम तोड़ने के आरोप के खंडन हेतु कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है। साथ ही, इनके द्वारा 10 लाभुकों को दोबारा इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने के मामले में राशि की वसूली आरोप गठन के बाद में की गयी प्रतीत होता है।

अतएव सम्यक् विचारोपरान्त श्री महेश चन्द्र, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले (दरभंगा), सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर द्वारा इंदिरा आवास योजना में बरती गई अनियमितता के लिए "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध" करने का दंड (पत्र निर्गत की तिथि से)" अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है श्री महेश चन्द्र की चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव ।

---

24 मई 2022

सं0 ग्रा0वि0-14(द0)मधु0- 04/2021--947292---श्री अशोक प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, (मधुबनी) सम्प्रति सहायक परियोजना पदाधिकारी, नवादा के विरुद्ध अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन ससमय नहीं करने व दोषी कर्मियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य प्रप्ति एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु प्रयास नहीं करने जैसे आरोपों पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 853 दिनांक 05.04.2021 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण प्राप्त है। उक्त स्पष्टीकरण में उल्लेखित है कि महालेखाकर (ले0प0) पटना द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन 704/2014-15 की प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास को पत्रांक-सा0प्र0-1/वेटिंग- IV/675 दिनांक- 15.12.2014 द्वारा प्रेषित की गई थी। उनके द्वारा फुलपरास प्रखंड में 19 जून 2018 को योगदान किया गया। प्रखंड कार्यालय में प्रखंड नाजीर एवं प्रधान लिपिक द्वारा इस अति महत्वपूर्ण मामले की संचिका उनके समक्षा न तो उपस्थापित की गई और न ही कभी इसकी जानकारी लिखित या मौखिक दी गई। माननीय लोकायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में एवं जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर महालेखाकर कार्यालय के पत्रांक-214 दिनांक-18.062019 द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या- 704/2014-15 की प्रति उपलब्ध कराई गई। इसके आलोक में उनके पत्रांक- 1572 दिनांक- 18.10.2019 द्वारा महालेखाकर कार्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया और इसकी सूचना ग्रामीण विकास विभाग और लोकायुक्त न्यायालय को भी समर्पित की गई। फुलपरास प्रखंड में पदस्थापन तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक 70.17 प्रतिशत एवं इंदिरा आवास योजना में वर्ष-2012-13 से 2015 तक 93.34 प्रतिशत उपलब्ध रही । साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पी0डब्लू0एल0 रिमांड एक भी लंबित नहीं था। सामुदायिक स्वच्छाता परिसर के निर्माण के संबंध में कहना है कि दिये गये 13 स्थानों में से 6 पूर्ण कर लिये गये थे, 4 पर कार्य जारी था और 3 पर जमीन विवाद था।

आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के साथ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्ताव नहीं किया गया है।

अत: सम्यक् विचारांत विचारोपरांत श्री अशोक प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, (मधुबनी) सम्प्रति सहायक परियोजना पदाधिकारी, नवादा के विरुद्ध 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने' का दंड (पत्र निर्गत की तिथि से)" अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री अशोक प्रसाद की चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव ।

---

24 मई 2022

सं0 ग्रा0वि0-14(द0)मधु0- 02/2021--947316---श्री राजकुमार चौधरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वरस्थान, मधेपुरा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 17 दिनांक 05.01.2021 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 673896 दिनांक 21.01.2021 द्वारा 'असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने' का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त अधिरोपित दंड के विरुद्ध श्री राजकुमार चौधरी द्वारा अभ्यावेदन दिनांक-11.01.2022 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री चौधरी के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अत: समीक्षोपरान्त श्री राजकुमार चौधरी के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव ।

---

24 मई 2022

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना)भोजपुर-06/2018--947253---श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदवंतनगर, भोजपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, करगहर, रोहतास के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 1021 दिनांक 15.12.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-367374 दिनांक 22.01.2021 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि अवरुद्ध करने' का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त दंड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, करगहर, रोहतास के पत्रांक-1246 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अत: समीक्षोपरान्त श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव ।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

2 जून 2022

सं0 15/ए 6–02/2008 (अंश I)–1358––डॉ0 (प्रो0) रेखा कुमारी, निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त अध्यक्ष, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना का तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभार सौंपा जाता है।

2. उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

3. इस प्रसंग में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1013 दिनांक 02.05.2022 को विलोपित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

———————

"शुद्धि पत्र"

2 जून 2022

सं0 1/स्था0 (14) 05/2022–1833—विभागीय अधिसूचना संख्या–1387–सह–पठित ज्ञापांक–1388 दिनांक 22.04.2022 के–

(i) क्रमांक–1 में डॉ0 रायचन्द्र पासवान, सहायक निदेशक (प0वि0), ल0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), सरैया, मुजफ्फरपुर को डॉ0 रायचन्द्र पासवान, सहायक निदेशक (प0वि0), वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), सरैया, मुजफ्फरपुर पढ़ा एवं समझा जाए।

(ii) क्रमांक–18 में डॉ0 विनीता रानी, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना को डॉ0 विनीता रानी, सहायक शोध पदाधिकारी (जैविक उत्पाद), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना पढ़ा एवं समझा जाए।

(iii) क्रमांक–21 में डॉ0 राजेश कुमार, पशुपालन पदाधिकारी, वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), उदवंतनगर, भोजपुर को डॉ0 राजेश कुमार, पशुपालन पदाधिकारी, वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), उदवंतनगर, भोजपुर पढ़ा एवं समझा जाए।

(iv) क्रमांक–30 में डॉ0 देवेन्द्र प्रकाश राकेश, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मनेर, पटना को डॉ0 देवेन्द्र प्रसाद राकेश, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मनेर, पटना पढ़ एवं समझा जाए।

(v) क्रमांक–37 में डॉ0 रागिनी कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सबौर, भागलपुर को डॉ0 रागनी कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सबौर, भागलपुर पढ़ा एवं समझा जाए।

2. उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेगी।

आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

———————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

सं0 625––मैं **बिरेन्द्र कुमार यादव**, साकिन- बड़ी केशोपुर जमालपुर, थाना - जमालपुर, जिला -मुंगेर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र शैलेश कुमार विद्या मंदिर +2 विद्यालय दौलतपुर जमालपुर का छात्र है दशवी बोर्ड सी.बी.एस.ई के परीक्षा फॉर्म भरते समय भूलवश पिता के नाम में बिरेन्द्र कुमार यादव के स्थान पर बिरेन्द्र प्रसाद यादव अंकित हो गया है | बिरेन्द्र कुमार यादव व बिरेन्द्र प्रसाद यादव दोनों एक ही व्यक्ति है, जो मैं हूँ| शपथ पत्र सं0 8151/2021 दिनांक 20.07.2021 ।

बिरेन्द्र कुमार यादव|

सं0 626––मैं निरंजन कुमार पिता राम कृष्ण सिंह, ग्राम–माणिकपुर, पोस्ट–कवादपुर, थाना–सूर्यगढ़ा जिला–लखीसराय का निवासी हूँ शपथ पत्र सं0 1399 दिनांक 30.04.2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र मनीष रॉय के शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम गलती से निरंजन महतो अंकित हो गया है। मेरा सही नाम निरंजन कुमार है।

निरंजन कुमार।

सं0 654––**मै शोभा देवी,** पिता–भूषण राम, पति–तेजू कुमार, निवासी ग्राम–महुआबाग, पो.–धनौत, थाना–रूपसपुर, जिला–पटना (बिहार) शपथ पत्र सं. 3445/24.03.2022 द्वारा घोषणा करती हूं कि शोभा कुमारी और शोभा देवी दोनों नामों की एक ही महिला है जो मैं स्वयं हूं। शादी के बाद में शोभा कुमारी से शोभा देवी के नाम से जानी व पहचानी जाती हूं। सभी जगह अपना नाम शोभा देवी लिखती हूं। मेरे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों में मेरा नाम शोभा कुमारी है तथा अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम शोभा देवी है।

शोभा देवी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 6/श्रम वि० आ० (01)–23/2019 श्र०सं०–1229
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प
1 जून 2022

श्री राकेश रंजन, तत्कालीन सहायक निदेशक (परीक्षा) सम्प्रति प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, दीघाघाट, पटना के विरूद्ध गठित आरोप से आरोप मुक्त करने के संबंध में।

श्री राकेश रंजन, तत्कालीन सहायक निदेशक (परीक्षा) सम्प्रति प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, दीघाघाट, पटना के विरूद्ध निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के पत्रांक–947 दिनांक–04.06.2020 द्वारा यह आरोप गठित किया गया कि अ०भा०व्य० परीक्षा जुलाई, 2019 में चाणक्या स्कील एकेडमी प्रा०आई०टी०आई०, खगौल, पटना परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक द्वारा विडियोंग्राफी की व्यवस्था नहीं की गयी थी। श्री रंजन द्वारा चाणक्या स्कील एकेडमी प्रा०आई०टी०आई०, खगौल, पटना को अर्द्धनिर्मित अपार्टमेन्ट में संचालित किया जा रहा था जो सुरक्षा के दृष्टीकोण से उपयुक्त नहीं था जिसे श्री रंजन द्वारा उक्त संस्थान को परीक्षा केन्द्र के रूप में बनाया गया। संयुक्त निदेशक परीक्षा के कई बार मौखिक निदेश के बावजूद श्री रंजन द्वारा उक्त केन्द्र के NCVT Affiliation से संबंधित संचिका उपस्थापित नहीं किया गया।

क्रियेटिव आई०टी०आई०, जानीपुर, पटना, जगतारण कुँवर प्रा०आई०टी०आई०, नौबतपुर, पटना, बिक्रम प्रा०आई०टी०आई०, बिक्रम, पटना परीक्षा केन्द्र में बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं थी एवं क्षमता से अधीक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया एवं जगतारण कुँवर प्रा०आई०टी०आई० में मशीन/उपकरण की स्थिति भी अच्छी नहीं थी।

परीक्षा केन्द्रों के इस प्रकार के टैगिंग एवं अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहण पूर्णरूपण नहीं करने के लिए श्री रंजन को जिम्मेवार मानते हुए उनके विरूद्ध आरोप गठित किया गया। श्री राकेश रंजन से विभागीय पत्रांक–936 दिनांक 24.06.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री राकेश रंजन ने अपने पत्रांक–480 दिनांक–03.08.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। प्राप्त स्पष्टीकरण में श्री राकेश रंजन ने उल्लेख किया है कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के पत्रांक–764 दिनांक–26.07.2019 द्वारा सभी केन्द्राधीक्षकों को परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए विडियोंग्राफी करने का निदेश दिया गया था। जिसके लिए अग्रिम राशि केन्द्राधीक्षक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी एवं परीक्षा केन्द्र में आवश्यक संसाधानों की व्यवस्था स्थानीय तौर पर केन्द्राधीक्षकों द्वारा की जानी थी। Affiliation दिये जाने के संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण की प्रशिक्षण शाखा से संबंधित है जिसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को जिम्मेबार नहीं ठहराया जा सकता है। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के पत्र संख्या–767 दिनांक–27.07.2019 द्वारा केन्द्राधीक्षकों को परीक्षार्थियों को बैठाने का निर्देश दिया गया था एवं परीक्षा केन्द्रों के टैगिंक का कार्य मुख्य रूप से निदेशालय से ही सम्पादित किया जाता है जिसके लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाती है। श्री रंजन का कहना है कि उन्हें इस संबंध में जिम्मेवार ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

3. श्री राकेश रंजन से प्राप्त स्पष्टीकरण की गहन समीक्षा अनुशासनिक प्रधिकार द्वारा की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत श्री राकेश रंजन से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाया गया।

4. अतएव श्री राकेश रंजन, तत्कालीन सहायक निदेशक (परीक्षा) सम्प्रति प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, दीघाघाट, पटना को उनके विरूद्ध गठित आरोप से आरोपमुक्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री राकेश रंजन, तत्कालीन सहायक निदेशक (परीक्षा) सम्प्रति प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, दीघाघाट, पटना को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

———————

सं0 6/श्रम वि० आ० (01)–10/2019 श्र०सं०–1230

———————

1 जून 2022

श्री राकेश रंजन, तत्कालीन सहायक निदेशक (परीक्षा) सम्प्रति प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, दीघाघाट, पटना के विरूद्ध गठित आरोप से आरोप मुक्त करने के संबंध में।

श्री राकेश रंजन, तत्कालीन सहायक निदेशक (परीक्षा) सम्प्रति प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, दीघाघाट, पटना के विरूद्ध निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के पत्रांक–1280 दिनांक–20.07.2020 द्वारा यह आरोप गठित किया गया कि, श्री राकेश रंजन, सहायक निदेशक (परीक्षा) के विरूद्ध श्री अनिल कुमार सामाजिक कार्यकर्ता, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा अ०भा०व्य० परीक्षा जनवरी 2019 में चार निजी संस्थानों, जिनके संचालक/ट्रस्टी श्री आलोक कुमार हैं, का परीक्षा केन्द्र राजकीय औ०प्र० संस्थान, मोतिहारी में निर्धारित करने, सोमेश्वर नाथ आई०टी०आई०, पूर्वी चम्पारण को पश्चिम चम्पारण में दर्शा कर परीक्षा केन्द्र पश्चिम चम्पारण जिला में निर्धारित करने तथा श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य द्वारा श्री आलोक कुमार से मिलकर परीक्षा में भ्रष्टाचार कराने का परिवाद पत्र दिया गया है। इसी प्रकार श्री पियुष, कुमार, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा आई०टी०आई० परीक्षा जनवरी 2019 में प्रा०आई०टी०आई० संचालकों से मिलकर भ्रष्टाचार करने, एक संचालक द्वारा संचालित संस्थान का परीक्षा केन्द्र उसी संचालक द्वारा संचालित दूसरे परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित करने तथा परीक्षा केन्द्रों पर पैसा की उगाही कर परीक्षा के दौरान CCTV कैमरा को बन्द करा कर नकल जैसे भ्रष्टाचार कराये जाने का परिवाद पत्र दिया गया है। उक्त दोनों परिवाद पत्रों की जाँच संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) से कराई गई एवं संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) ने जाँच प्रतिवेदन में दोनों परिवाद पत्रों को प्रमाणित पाया। श्री राकेश रंजन से विभागीय पत्रांक–1068 दिनांक–22.06.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री राकेश रंजन ने अपने पत्रांक–512 दिनांक–15.07.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। प्राप्त स्पष्टीकरण में श्री राकेश रंजन ने उल्लेख किया है कि अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा जनवरी, 2019 में परीक्षा केन्द्र का निर्धारण छः पदाधिकारियों नामतः 1. श्री रवि आनन्द, तत्कालीन प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, हिलसा, 2. श्री अतुल रंजन, तत्कालीन प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, घोघरडीहा, 3. श्री कुमार विकास रजक, तत्कालीन प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, बक्सर, 4. श्री प्रमेश पराशर, तत्कालीन प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, सीतामढ़ी, 5. श्री कुमार वैभव, तत्कालीन प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, सुपौल एवं श्री रंजन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। साथ ही परीक्षा केन्द्रों की सूची पर तत्कालीन प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही सूची को प्रकाशित किया गया था। सोमेश्वरनाथ प्रा०आई०टी०आई० का परीक्षा केन्द्र बेतिया को भारत सरकार के NCVT Portal पर बेतिया जिला में अवस्थित बताया गया था तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु संयुक्त जाँच दल द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में भी उक्त आई०टी०आई० को बेतिया जिले में दर्शाया गया है। जिसके कारण उक्त आई०टी०आई० का परीक्षा केन्द्र बेतिया जिला में निर्धारित किया गया।

श्री पीयुष कुमार, अधिवक्ता, युवा मोर्चा, अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर के द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में श्री राकेश रंजन ने उल्लेख किया है कि कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु परीक्षा केन्द्रों पर विभागीय स्तर से केन्द्राधीक्षक की प्रतिनियुक्ति एवं विभागीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–62 दिनांक–18.01.2019 द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में सभी जिला पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर उड़नदस्ता दल, दण्डाधिकारी, ऑबजर्वर एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी, ताकि कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न करायी जा सके। इस प्रकार कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने की प्रमुख जिम्मेवारी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त केन्द्राधीक्षक तथा उड़नदस्ता दल के सदस्यों आदि की थी। परीक्षा केन्द्रों पर किये गये कदचार के लिए सीधे तौर पर परीक्षा नियंत्रक को जिम्मेवार ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

3. श्री राकेश रंजन से प्राप्त स्पष्टीकरण की गहन समीक्षा अनुशासनिक प्रधिकार द्वारा की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत श्री राकेश रंजन से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाया गया।

4. अतएव श्री राकेश रंजन, तत्कालीन सहायक निदेशक (परीक्षा) सम्प्रति प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, दीघाघाट, पटना को उनके विरूद्ध गठित आरोप से आरोपमुक्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री राकेश रंजन, तत्कालीन सहायक निदेशक (परीक्षा) सम्प्रति प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, दीघाघाट, पटना को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं0 नि0को0 सीतामढ़ी (अपीलीय प्राधिकार)–02–08/2019–636(15)/रा0
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प
2 जून 2022

मो0 जलालुद्दीन अख्तर, अंचल अधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–895/स्था0, दिनांक–14.09.2016 द्वारा विभाग को आरोप प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। आरोप प्रपत्र 'क' में निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित किये गये :–

1. ''डोर–टू–डोर' कचड़ा प्रबंधन हेतु कुड़ेदानों की क्रय में अनियमितता बरतने,

2. कूड़ादान क्रय में 4587 घर के लिए 02 (दो) कूड़ादान प्रति परिवार 9174 कूड़ादान के विरूद्ध रूपये–27,52,200.00 (सत्ताईस लाख बावन हजार दो सौ) मात्र प्रथम किस्त का आवंटन रहने के बावजूद 15000 कूड़ादान उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं रहने के बावजूद भी विपत्र पारित कर अन्य मदों की राशि से रूपये 85,00,000.00 (पचासी लाख) मात्र का भुगतान एक ही चेक के माध्यम से करते हुए क्रय करने एवं

3. उक्त अनियमितता के विरूद्ध बेलसंड थाना कांड सं0–50/16, दिनांक–07.06.2016 के अभियुक्त रहने के कारण गिरफ्तारी वारंट निर्गत होने के कारण दिनांक–10.07.2016 से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने जैसे गम्भीर आरोप प्रतिवेदित हैं।

2. मो0 जलालुद्दीन अख्तर, अंचल अधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी के विरूद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के तहत विभागीय संकल्प सं0–2095 (नि0को0) दिनांक–06.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में मो0 अखतर के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' में अंकित आरोप सं0–01 एवं 02 को प्रमाणित बताया गया है। प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

8. मो0 जलालउद्दीन अख्तर, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, बेलसंड को समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–518(नि0को0), दिनांक–14.06.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर संशोधित) के नियम–14, 17 एवं 18 के प्रावधानों के तहत **'सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी''** का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध मो0 अख्तर द्वारा रिविजनल प्राधिकार, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के समक्ष पुनरीक्षण वाद संख्या–26/2018–19 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–17.05.2022 को आदेश पारित करते हुए अधिरोपित दंड ''**सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी**'' को ''संचयी प्रभाव के साथ 04 (चार) वेतन वृद्धि पर रोक'' के दंड से प्रतिस्थापित किया गया है।

अतएव रिविजनल प्राधिकार, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–17.05.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–518(नि0को0), दिनांक–14.06.2018 में अधिरोपित दंड ''**सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी।**'' को **''संचयी प्रभाव के साथ 04 (चार) वेतन वृद्धि पर रोक''** के दंड से प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कंचन कपूर, संयुक्त सचिव।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–12/2022––6267
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प
3 जून 2022

श्री सुरेश चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में दर्ज विशेष निगरानी इकाई थाना काण्ड संख्या–06/2022 दिनांक–04.05.2022 धारा–13 (1) (b) एवं धारा–13 (2) r/w 12 of P.C. Act 1988 (यथा–संशोधित) तथा 120 (बी) भा0 द0 वि0 तथा भ्रष्ट आचरण, पद के दुरूपयोग एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के घोर उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 (1) (क) एवं (ग) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5740 दिनांक 24.05.2022 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलम्बनावस्था में उनका मुख्यालय विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर निर्धारित किया गया था।

2. श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा दिनांक 31.05.2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

3. अतः श्री सुरेश चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2022 के अपराह्न के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

4. श्री चौधरी के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई अलग से की जाएगी।

5. उपरोक्त पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

———

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–21/2022––6276

———

संकल्प

3 जून 2022

दिनांक 15.10.2021 की रात्रि लगभग 9:30 बजे मंडल कारा, बेगूसराय में संसीमित बंदियों के बीच हुए विवाद एवं मारपीट की घटना के लिए विभागीय ज्ञापांक 4614 दिनांक 20.04.2022 द्वारा श्री राजेश कुमार राय, अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. तद्आलोक में अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय द्वारा अपने पत्रांक 2050 दिनांक 21.04.2022 के साथ संलग्न अपने स्पष्टीकरण में उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 15.10.2021 को रात्रि लगभग 09:30 बजे कारा के कक्ष संख्या–14 में संसीमित बंदियों के बीच विवाद एवं मारपीट हुई। घटना के पश्चात् दफा प्रभारी द्वारा बंदी कक्ष को खोलकर एवं घायल बंदी विनोद बिन्द को अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया। इस घटना की जानकारी रात्रि में प्रभारी उपाधीक्षक के द्वारा उन्हें नहीं दी गई। साथ ही अगले दिन सुबह नंबर खुली पर रात्रि की इस घटना में शामिल बंदियों को बुलाकर उसकी पिटाई की गई, इसकी भी जानकारी उन्हें न तो प्रभारी उपाधीक्षक और न ही मुख्य उच्च कक्षपाल द्वारा दी गई। उनका कहना है कि घटना के संबंध में उन्हें ससमय सूचना नहीं दिये जाने के कारण ही घटना का विस्तार हुआ और बंदियों का एक समूह उग्र होकर तोड़–फोड़ किया। श्री राय का कहना है कि उनके संज्ञान में आते ही स्थिति को त्वरित कार्रवाई (alarm) कर नियंत्रित कर लिया गया। अलार्म कराने से संबंधित सूचना कारा के ज्ञापांक 6195 दिनांक 16.10.2021 द्वारा कारा निरीक्षणालय को प्रेषित किया गया है एवं घटना के लिए दोषी 20 बंदियों पर भी कारा के ज्ञापांक 6190 दिनांक 16.10.2021 के द्वारा निकटवर्ती थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उनके द्वारा सूचित किया गया है कि कारा अस्पताल में क्षतिग्रस्त उपकरणों को यथाशीध्र ठीक कराकर स्थिति सामान्य कर लिया गया। उनका कहना है कि उक्त घटना के लिए दोषी कर्मियों एवं बंदियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध यथायोग्य दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है एवं त्वरित कार्रवाई कर कारा के अन्दर सामान्य स्थिति बहाल की गई। उनका कहना है कि इस संबंध में उनके द्वारा की गई जाँच एवं अनुशंसा के अलावे घटना की जांच अधीक्षक, शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर द्वारा भी की गई थी। उन्होंने इस घटना के लिए दोषी कारकों पर विचार करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

3. श्री राजेश कुमार राय, अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि दिनांक 15.10.2021 की रात्रि लगभग 9:30 बजे मंडल कारा, बेगूसराय में संसीमित बंदियों के बीच हुए विवाद एवं मारपीट की घटित घटना के पश्चात् दफा प्रभारी द्वारा बंदी कक्ष को खोलकर एवं घायल बंदी विनोद बिन्द को अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया। साथ ही अगले दिन सुबह नंबरखुली के समय घटना में शामिल बंदियों की पिटाई की गई, जिसमें एक बंदी राम बिक्रम सिंह बेहोश हो गया तथा उसे तुरंत इलाज हेतु कारा अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच बंदी राम बिक्रम सिंह की मृत्यु की अफवाह बंदियों के बीच फैल जाने से वे उत्तेजित हो कर कारा अस्पताल में तोड़–फोड़ करने लगे तथा बंदियों की पिटाई करने वाले कक्षपाल पर हमला कर दिया गया। कारा के अन्दर घटित इस गंभीर घटना की जानकारी अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय को नहीं होना, उनका कारा पर सम्यक् पर्यवेक्षण एवं अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण में अभाव का द्योतक है। श्री राय का कहना है कि उक्त घटना की जानकारी न तो प्रभारी उपाधीक्षक द्वारा उन्हें दी गई और न ही मुख्य उच्च कक्षपाल द्वारा। काराधीक्षक कारा के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी होते हैं एवं कारा सुरक्षा की सम्पूर्ण जवाबदेही उनकी होती है। ऐसे में श्री राय का कहना कि उक्त घटना की सूचना उन्हें किसी कारा कर्मी द्वारा नहीं दी गई, उनका अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण का अभाव एवं अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही को दर्शाता है।

श्री राय का कहना है कि घटना उनके संज्ञान में आने पर स्थिति को त्वरित कार्रवाई (alarm) कर नियंत्रण में कर लिया गया तथा उक्त घटना के संबंध में उन्हें ससमय सूचना नहीं दिये जाने के कारण सहायक अधीक्षक, मुख्य उच्च कक्षपाल, प्रभारी उपाधीक्षक एवं दो कक्षपालों के विरूद्ध उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। कारा एक संवेदनशील स्थल है। बंदियों के बीच मारपीट की घटना में किसी बंदी की मृत्यु तक हो सकती थी। अतः श्री राय का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजेश कुमार राय, बिहार कारा सेवा, अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध निम्नांकित लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

(i) निन्दन।

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो (02) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0)।

———

सं0 11 / योजना 18—01 / 2021 (अंश)——667

शिक्षा विभाग

———

संकल्प

28 मार्च 2022

विषयः— माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उत्क्रमित एवं नवस्थापित 3530 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु ₹568547.44 लाख एवं पूर्व में स्वीकृत कुल 2768 उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन के निर्माण हेतु अवशेष राशि ₹184495.37 लाख अर्थात् कुल ₹753042.81 लाख (पचहत्तर अरब तीस करोड़ बियालीस लाख इकासी हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

वर्ष 2005 के पूर्व राज्य में 2540 राजकीयकृत उच्च विद्यालय, 252 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, 75 राजकीय उच्च विद्यालय एवं 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय सहित कुल 2939 माध्यमिक विद्यालय संचालित थे। सरकार के संकल्प संख्या—1021 दिनांक—05.07.2013 द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किए जाने का निर्णय लिया गया। कुल 8386 पंचायतों में से 6421 पंचायतों को माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत के रूप में चिह्नित किया गया। उक्त 6421 पंचायतों में एक—एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना से पंचायत क्षेत्र के छात्र—छात्राओं को +2 तक शिक्षा सुलभ हो सकेगी।

2. प्रश्नगत 6421 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु संकल्प संख्या—219 दिनांक—15.02.2017 द्वारा न्यूनतम 75डी० भूमि की उपलब्धता आवश्यक की गई। उक्त क्रम में न्यूनतम 75डी० या उससे अधिक भूमि की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2013—14 से 2020—21 तक स्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नवत् दी गई।

- 1000 इंटर स्तरीय मॉडल भवन के निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना से वर्ष 2013—14 में दी गई।
- 513 इंटर स्तरीय मॉडल भवन के निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना से वर्ष 2018—19 में दी गई।
- 221 विद्यालय भवन MSDP योजना (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से स्वीकृत) से वर्ष 2013—14 एवं 2015—16 में स्वीकृत की गई।
- 357 विद्यालय भवन की स्वीकृति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2013—14 में दी गई।
- 677 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 के संचालन हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से एवं कक्षा 11 एवं 12 के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण की स्वीकृति दी गई।

3. उक्त कुल 2768 विद्यालय भवनों की स्वीकृत योजना को पूर्ण करने हेतु योजनावार स्वीकृत राशि, निर्गत राशि एवं देय राशि का ब्योरा निम्नवत् हैः—

क्रमांक	विद्यालय की संख्या	वित्तीय स्थिति				
		योजना का प्रकार एवं वर्ष	प्रति इकाई लागत (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)	निर्गत राशि (लाख में)	देय राशि (लाख में)
1	677	RMSA से वर्ग 9 एवं 10 कक्षा के लिए (2009—10)	अलग—अलग प्राक्कलन	44810.52	39347.24	5463.28
		राज्य योजना से वर्ग 11 एवं 12 कक्षा के लिए (2021—22)	@121.74	82417.98	28400.00	54017.98
2	357	RMSA (2011—12 से 2013—14)	@115.50	41233.50	25017.43	16216.07

3	1000	राज्य योजना (2013–14)	@115.50	115500.00	98831.73	16668.27
4	513	राज्य योजना (2018–19)	@237.29	121729.77	29600.00	92129.77
5	221	विद्यालय MSDP योजना	अलग–अलग प्राक्कलन	23569.38	23569.38	0.00
	2768			**429261.15**	**244765.78**	**184495.37**

4. 123 मध्य विद्यालय जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किए गए हैं उसमें वर्ग 9 से 12 तक संचालन हेतु अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण आवश्यक नहीं है। इस प्रकार कुल 2891 विद्यालय भवनों के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है या चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा रहा है।

5. 6421 में से शेष 3530 पंचायतों में +2 स्तर की पढ़ाई के लिए मॉडल इंटर स्तरीय भवन/अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण निम्न रूपेण प्रस्तावित है :–

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित प्राक्कलित राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
01	653 विद्यालयों में मॉडल इण्टर स्तरीय भवन निर्माण	154950.37	प्रति विद्यालय 237.29 लाख की दर से	
02	1027 विद्यालयों में 10 वर्गकक्ष की अधिसीमा प्राप्त करने हेतु भूमि उपलब्ध है, जिसमें कुल 7856 वर्गकक्ष (7039 पक्का एवं 817 prefab वर्गकक्ष निर्माण	83469.05	अलग–अलग प्राक्कलन	
03	1504 विद्यालयों में मानक 10 वर्गकक्ष की अधिसीमा प्राप्त करने हेतु पर्याप्त भूमि/ जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण			
	(i) 802 विद्यालयों में पुराने भवन के उपर 10 वर्गकक्ष तथा 5+5 या उससे कम वर्गकक्ष का निर्माण।	156502.28	प्रति विद्यालय 195.14 लाख की दर से	
	(ii) 702 विद्यालयों में उपलब्ध भूमि पर अतिरिक्त वर्गकक्ष G+1, G+2 का निर्माण	106107.30	प्रति विद्यालय 151.15 लाख की दर से	
04	346 विद्यालयों में भूमि/जगह उपलब्ध नहीं रहने के कारण Structure Frame में प्रथम एवं द्वितीय तल पर पांच पांच कमरे का सीढ़ी/बरामदा /शौचालय सहित निर्माण	67518.44	प्रति विद्यालय 195.14 लाख की दर से	
कुल 3530 विद्यालय		**568547.44**		

6. प्रस्तावित भवन निर्माण का कार्य वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से पूर्ण कराया जायेगा।

7. राज्य के उक्त विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचना के विकासोपरांत इन विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा, जिससे विद्यालयों में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को विद्योपार्जन में सुविधा प्राप्त होगी तथा उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा। साथ ही, समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षण अधिगम में उचित सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

8. वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रावधानित होने वाली राशि के अतिरिक्त शेष राशि की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग/15वां वित्त आयोग (भारत सरकार)/राज्य मद/ऋण स्वरूप प्राप्त की जायेगी। उक्त राशि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को किस प्रकार से हस्तांतरित की जायेगी, के बिन्दु पर प्रशासी विभाग, पंचायतीराज विभाग एवं वित्त विभाग से परामर्श कर प्रक्रिया निरूपित करेगा। राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मा०शि०) द्वारा संगत शीर्ष में प्राप्त होने वाले उद्व्यय एवं उपबंध के आलोक में स्वीकृत्यादेश में अंकित विवरणी के आलोक में की जायेगी।

9. माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत योजना की शेष देय राशि एवं नवस्थापित एवं उत्क्रमित 3530 उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त आधारभूत संरचना निर्माण प्रस्तावित है।

10 स्वीकृत होने वाली राशि की निकासी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, पटना द्वारा BSEIDC से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर BTC-46 पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के "पी0एल0 खाता संख्या PBBPLA005 Ledger ID-2441 Ledger Name-State P&L for SSS" में राशि का अंतरण, CFMS के माध्यम से स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा।

11. उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमि/भवन की उपलब्धता के आधार पर दी गई है। उक्त विद्यालयों के भवन/अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण की निविदा के पूर्व कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि भवन/ अतिरिक्त वर्गकक्ष के निर्माण हेतु संबंधित विद्यालयों में आवश्यक भूमि उपलब्ध है, अन्यथा की स्थिति में विसंगति पाए जाने पर कार्यकारी एजेंसी प्रशासी विभाग से सामंजस्य स्थापित कर आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराएगी, जिसपर अंतिम निर्णय प्रशासी विभाग का होगा। किसी भी स्थिति में योजना का दोहरीकरण नहीं हो इसकी जवाबदेही कार्यकारी एजेंसी की होगी।

12. दिनांक–21.02.2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में योजना पर स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः––आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप सचिव।

———

सं0 2/आरोप–01–28/2018–सा0प्र0–6130

सामान्य प्रशासन विभाग

———

संकल्प

21 अप्रील 2022

श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 703/11, तत्कालीन अपर नगर आयुक्त (स्थापना), नगर निगम, पटना के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना करने एवं समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने संबंधी आरोप के लिए प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 16996 दिनांक 26.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी।

उक्त के आलोक में श्री सिंह के पत्रांक 1133 दिनांक 30.01.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इस बीच श्री सिंह दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो गये।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों एवं साक्ष्यों तथा प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् विचारोपरान्त इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है, जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

———

सं0 2/नि0था0–11–01/2022–सा0प्र0–979

———

25 जनवरी 2022

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक 9869/गो0 दिनांक 17.12.2021 (पृ0–09–01/40) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अनिल कुमार सिन्हा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 502/19, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, दरभंगा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने कुल सेवाकाल में करीब 55,03,548/– (पचपन लाख तीन हजार पाँच सौ अडतालीस) रूपये के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में आर्थिक

अपराध थाना कांड संख्या 28/2021 दिनांक 08.12.2021 धारा–13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(बी) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किया गया है।

श्री सिन्हा का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, वरीय पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल है, एवं बिहार आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः श्री सिन्हा को उक्त कृत्य के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 के संगत प्रावधानों के तहत अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में मुख्यालय–आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री सिन्हा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10(1) के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

———

सं0 2/आरोप–01–15/2020–सा0प्र0–5315

———

5 अप्रील 2022

श्री अंजय कुमार राय (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 243/19, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हथुआ, गोपालगंज के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4126/1991 में विभिन्न तिथियों को पारित आदेशों की अवहेलना करने एवं भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग के अनुरोधों की अनदेखी करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हथुआ, गोपालगंज के कार्यालय/न्यायालय को प्राप्त कुल 589 भूदान भूमि से संबंधित दानपत्र सन्निहित रकवा 5364.41 एकड़ की सम्पुष्टि की कार्रवाई नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा गठित आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया।

श्री राय के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त आरोप–पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 16311 दिनांक 22.12.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में श्री राय को स्मारित किये जाने के बावजूद भी स्पष्टीकरण अप्राप्त है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप की गंभीरता को देखते हुए आरोप की वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

श्री राय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

———

सं0 2/आरोप–01–03/2022–सा0प्र0–296

———

7 जनवरी 2022

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1025 दिनांक 28.12.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अरविन्द कुमार भारती (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 819/11, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियां को दिनांक 23.07.2021 को परिवादी श्री नितेश कुमार राज से 1,30,000/– रू0 रिश्वत लेते हुए निगरानी धावादल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री भारती के विरूद्ध धारा–7(a)/7(c)/12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित, 2018) एवं 120(बी) भा0द0वि0 के अन्तर्गत कांड दर्ज किया गया है। श्री भारती को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, भागलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया सम्प्रति ये न्यायिक हिरासत में हैं।

श्री भारती को उक्त के आलोक में रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दिनांक 23.07.2021 के प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 के संगत प्रावधानों के तहत अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री भारती को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10(1) के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

———

सं0 2/आरोप–01–02/2022–सा0प्र0–4661

———

28 मार्च 2022

श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 271/19 द्वारा जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पूर्णियां पदस्थापन अवधि में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5388 दिनांक 14.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित आरोप–पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप–पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1261 दिनां 02.02.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 106 दिनांक 15.02.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर इनके स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए आरोपों की वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

———

सं0 2/नि0था0–11–03/2016–सा0प्र0––5773

———

13 अप्रील 2022

श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2569 दिनांक 03.11.2016 द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 116/2016 दिनांक 28.10.2016 धारा–7/8/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 के तहत श्री अंसारी को प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं दिनांक 27.10.2016 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में शहीद खुदिराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजे जाने की सूचना प्राप्त है।

प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13560 दिनांक 24.10.2017 द्वारा श्री अंसारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री अंसारी दिनांक 28.02.2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

अतः श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

———

सं0 2/नि0था0–11–01/2017–सा0प्र0––5774

———

13 अप्रील 2022

श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धर्नाजन करने के आरोप के लिए दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या 137/2016

दिनाक 09.12.2016 धारा–13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0, 1988 में विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3246 दिनांक 08.03.2019 द्वारा श्री अंसारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री अंसारी दिनांक 28.02.2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

अतः श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

———

सं0 2/आरोप–01–40/2014–सा0प्र0––176

———

5 जनवरी 2022

श्री अजय कुमार ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 684/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फारबिसगंज–सह–अंचल अधिकारी, नरपतगंज के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1172 दिनांक 08.09.2011 द्वारा कतिपय आरोपों यथा–रोकड़ बही का संधारण सही ढंग से नहीं करने, रोकड़ बही दिनांक 24.04.2009 से शून्य से प्रारम्भ करने एवं पूर्व के रोकड़ बही दिनांक 26.06.2009 तक लिखे जाने, पारित अभिश्रव का रोकड़ बही में संधारण नहीं करने, प्राप्त अभिश्रव समय पर पारित नहीं करने एवं बिना रोकड़ बही पर प्रभार प्राप्त किये राशि का आय–व्यय करने के लिए आरोप–पत्र उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप के आलोक में श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6923 दिनांक 08.06.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट मंतव्य उल्लेखित नहीं रहने के कारण विभागीय पत्रांक 6010 दिनांक 23.06.2020 द्वारा जाँच पदाधिकारी आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को मूल अभिलेख वापस करते हुए स्पष्ट मंतव्य के साथ जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 2707 दिनांक 31.12.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य/निष्कर्ष में श्री ठाकुर के विरूद्ध सभी आरोपों को आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक 1675 दिनांक 08.02.2021 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए श्री ठाकुर से लिखित अभिकथन की मांग की गई, किन्तु स्मारित किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया।

श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री ठाकुर के विरूद्ध बाढ़ सहाय्य मद में प्राप्त राशि का वित्तीय नियमावली के अनुदेशों के अनुरूप प्रबंधन में लापरवाही का आरोप है। उनके द्वारा वर्ष 2008 में बाढ़ पीड़ितों के लिए सहाय्य मद में उपलब्ध करायी गयी राशि नियमानुसार रोकड़ में संधारण नहीं किया गया है। पूर्व से चले आ रहे रोकड़ पंजी में उपलब्ध शेष को छोड़कर शून्य अवशेष पर दूसरा सामान्य रोकड़ पंजी खोलकर नव पदस्थापित नाजिर से संधारित करवाया गया। पूर्व सामान्य रोकड़ पंजी का अवशेष 400626720.94 से विभिन्न तिथियों को कुल 31090000.00 रू0 का निकासी कर रोकड़ पंजी में आय व्यय दर्ज किया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। पूर्व से पारित अभिश्रव जो श्री ठाकुर द्वारा दिये गये अग्रिम के विरूद्ध प्राप्त था, अभिश्रव मो0 256288730.00 सामान्य रोकड़ पंजी में संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण अग्रिम का समायोजन नहीं किया जा सका। अंचल कार्यालय में श्री ठाकुर द्वारा रोकड़ पंजी में बिना वित्तीय प्रभार लिए बड़ी राशि का आय–व्यय कर रोकड़ पंजी में संधारित करवाया गया। श्री ठाकुर का यह कृत्य वित्तीय कुप्रबंधन, लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकारा द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री ठाकुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधान के तहत **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2009–10) एवं (ii) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री ठाकुर के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक 9005 दिनांक 17.08.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2720 दिनांक 22.12.2021 द्वारा श्री ठाकुर के विरूद्ध विनिश्चित दंड पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चत दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री अजय कुमार ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 684/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फारबिसगंज–सह–अंचल अधिकारी, नरपतगंज सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधान के तहत निम्नलिखित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2009–10),

(ii) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+15-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in